केंद्रीय योजनागत परिव्यय में हुई कमी की, राज्य योजनागत सेक्टर में प्रावंटन बढ़ने से, कुछ हद तक, पूर्ति हो गई है ।

निधियों का दुरुपयोग किया जाना

3343. **श्री राजूभाई ए. परमार :**
श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुदान प्राप्त करने वाली कुछ संस्थायें उसका उचित ढंग से उपयोग नहीं करती हैं जिसके कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और शैक्षिक योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने संगठनों का पता लगाया गया है ; और

(ग) उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश पर पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, को अनुदान दिए जाते । तथापि, संयुक्त मूल्यांकन दल, जिनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और बाहर के विशेषज्ञ होते हैं, इन स्वैच्छिक संगठनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। संयुक्त मूल्यांकन दलों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 86 स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था । इसी प्रकार, गैर-औपचारिक शिक्षा को योजना के अंतर्गत, अब तक एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था । इन मामलों में दिए गए अनुदानों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

गांवों में युवा विकास केन्द्र

3344. **श्री ईश दत्त यादव :** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक युवा विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किन-किन गांवों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कु. ममता बनर्जी) :

(क) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक दस गांवों के समूह के लिए एक की दर से 18,000 युवा विकास केन्द्र प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन युवा विकास केन्द्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए सूचना, खेल, प्रशिक्षण तथा युवा कार्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी । केन्द्र के लिए भूमि सम्बन्धित पंचायतों द्वारा दान की जायेगी। पारस्परिक श्रम तथा सामग्री की आपूर्ति के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र के लिए भवन और बुनियादी खेल सुविधाओं का निर्माण आरम्भ किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र का प्रबंध संघटक गांवों के युवाओं से गठित की गई युवा समितियों द्वारा किया जायेगा। संचालन और रखरखाव संबंधी व्यय की उगाही समिति करेगी ।

(ग) किन-किन गांवों में कितने युवा विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यह मामला वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता